

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर

सेवा में,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र - समुदाय केन्द्र
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक:मा0-1/4650-4656 /2011-2012

दिनांक: 12-12-2011

विशय:- सेंट थामस स्कूल लोवर लाइन्स चुनार, मीरजापुर को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूच्य है, कि उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या :1916/15-7-09-1(299) /2007 दिनांक:14.07.2009 द्वारा प्रदेश स्थित माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को सी0बी0एस0ई0 तथा आई0सी0एस0ई0 बोर्ड द्वारा संचालित किये जाने के पूर्व संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण -पत्र राज्य सरकार के स्थान पर संबंधित मण्डल के मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिये जाने का निर्देश दिया गया है। उक्त शासन के उक्त आदेश के अनुसार जनपद मीरजापुर में स्थित संस्था, सेंट थामस स्कूल लोवर लाइन्स चुनार, मीरजापुर के आवेदन पत्र पर मण्डल स्तर पर गठित समिति द्वारा विचार किया गया। विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली में सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण -पत्र दिये जाने में समिति को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है।-

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जाय।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति /जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद /बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली /कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्ते से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त जशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित पंजिकाओं में रखा जायेगा।
9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन /परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

कमश:.....2 पर



MANAGER
ST. THOMAS
LOWER LINES
DISTT. MIRZAPUR
TEL. 05443-222055


PRINCIPAL
ST. THOMAS SCHOOL
LOWER LINES, P.O. CHUNAR
DISTT. MIRZAPUR, 231304 (U.P.)
TEL. 05443-222055

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है, अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, तो उक्त प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय

(उपेन्द्र कुमार)

संयुक्त शिक्षा निदेशक
विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर

पृ०सं०:मा०-1/

/2011-2012 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. सांचेव माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ ।
2. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
3. आयुक्त, विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर ।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक सोनभद्र ।
5. निरीक्षक आंग्ल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
6. सेंट थामस स्कूल लोवर लाइन्स चुनार, मीरजापुर ।
7. गार्ड फाईल ।

(उपेन्द्र कुमार)

संयुक्त शिक्षा निदेशक
विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर

MANAGER
ST. THOMAS SCHOOL
LOWER LINES, P.O. CHUNAR
DISTT. MIRZAPUR
TEL. 05443-222055

PRINCIPAL
ST. THOMAS SCHOOL
LOWER LINES, P.O. CHUNAR
DISTT. MIRZAPUR, 231304 (U.P.)
TEL. 05443-222055